

आउटकम बजट 2023-24

विभाग का नाम: महिला कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्ताविक प्रमुख एस.डी.जी.-10

(धनराशि लाख रु में)

क्र.स.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट 2023-24		1.4.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	महिला कल्याण के अन्तर्गत महिलाओ/किशोरो हेतु संचालित संस्थाओ/कार्यालयों व किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम/किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर समीक्षा/मार्ग दर्शन	381.80	0	13 कार्यालय	13 कार्यालय	राज्य के समस्त 13 जनपदों में विभागीय कार्यालयों का सफल संचालन किया जायेगा।	महिला व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
2	बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	विधि विवादित किशोर/किशोरियो हेतु कोर्ट बोर्ड की स्थापना के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण	49.65	0	07 कार्यालय	07 कार्यालय	राज्य के 07 जनपदों में बाल कल्याण बोर्ड बोर्ड के कार्यालयों का सफल संचालन होगा।	विधि विरुद्ध श्रेणी के बच्चों व उनके परिवारों को त्वरित न्याय मिलेगा।	31 मार्च, 2024
3	संस्थाओ/गृहों का संचालन	18 वर्ष के जरूरतमन्द किशोर/किशोरियो तथा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओ हेतु गृहों का संचालन करते हुए संवासियों को आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।	981.00	0	21 संस्थाएं	23 संस्थाएं	उत्तराखण्ड में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओ व महिला गृहों का सफल संचालन होगा।	महिला बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
4	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन	कूड़ा बीनने वाले/भिक्षा वृत्ति में लगे किशोरो हेतु आवास, चिकित्सा, प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन से जुडी संस्थागत एवं गैर संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए पुनर्वासन किया जायेगा।	0.02	0	0	0	कूड़ा बीनने वाले/भिक्षा वृत्ति में लगे किशोरो को संस्थागत एवं गैर संस्थागत सुविधाएं प्राप्त होगी।	स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वासित होंगे व उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।	31 मार्च, 2024
5	किशोर न्याय निधि की स्थापना	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 105 के अन्तर्गत जरूरतमन्द किशोर/किशोरियो के पुनर्वासन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	10.00	0	0	0	उत्तराखण्ड में किशोर न्याय निधि का सफल संचालन	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
6	मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना	कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वासन, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	2300.00	0	6319	6319	कोविड-19 व अन्य बीमारियों से प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता व अन्य सुविधाएं प्रदान की जायेगी।	कोविड-19 व अन्य बीमारियों से प्रभावित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व देखभाल गैर संस्थागत रूप में सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।	31 मार्च, 2024

7	महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना	महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु	0.02	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	उत्तराखण्ड में महिलाओं के संरक्षण हेतु योजनाओं का मूल्यांकन	उत्तराखण्ड की महिला संरक्षण के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
8	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अधीन उद्धार संगठन	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महिलाओं के पुनर्वासन हेतु मण्डल स्तर पर कार्यालयों की स्थापना	6.12	0	2 अधिष्ठान	2 अधिष्ठान	महिला संरक्षण हेतु दो अधिष्ठानों का सफल संचालन किया जायेगी।	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
9	मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन करते हुए उन्हें आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, प्रशिक्षण मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।	229.00	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक), देहरादून का सफल संचालन	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी	31 मार्च, 2024
10	विभिन्न विभागीय अर्न्तवासियों का पुनर्वासन	राजकीय महिला गृहों से मुक्त होने पर महिला को पुनर्वासन हेतु कौशल्या डबराल संवासिनी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल रू 21000/- प्रदान किये जाते हैं।	5.00	0	5	5	महिला गृहों से मुक्त होने पर 10 महिलाओं को पुनर्वासन किया जायेगी।	महिला संरक्षण व आजीविका के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2024
11	महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति/ छात्रवेतन	वर्तमान में लागू नहीं है।	0.02	0	0	0	योजना लागू नहीं है।	योजना लागू नहीं है।	31 मार्च, 2024
12	महिला कल्याण निदेशालय	महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिलाओं/किशोरों की याचनाओं की राज्य में निदेशालय स्तर से समीक्षा/मार्ग दर्शन	380.00	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	महिला कल्याण निदेशालय के माध्यम से महिला व बाल संरक्षण की विभागीय योजनाओं का सफल संचालन किया जायेगी।	महिला व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2024
13	मानसिक रूप से विक्रिप्त व्यक्तियों एवं महिलाओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक) देहरादून में निवासरत मानसिक रूप से विक्रिप्त संवासिनियों की समुचित देखरेख हेतु स्वैच्छिक संस्था को सहायता	62.00	0	140	140	महिला कल्याण व पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक) देहरादून का सफल संचालन	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी	31 मार्च, 2024
14	मिशन वात्सल्य योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के किशोर/ किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यालय/संस्थाओं का संचालन	3436.33	0	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाएं	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाएं	निदेशालय महिला कल्याण व समस्त 13 जनपदों के स्तर पर बाल संरक्षण योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2024
15	मिशन वात्सल्य योजना 10 प्रतिशत राज्यांश	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के किशोर/किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यालय/संस्थाओं का संचालन	316.48	0	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाएं	41 अधिष्ठान तथा 25 संस्थाएं	निदेशालय महिला कल्याण व समस्त 13 जनपदों के स्तर पर बाल संरक्षण योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2024

16	शक्ति सदन योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित शक्ति सदन योजना के अन्तर्गत उज्जवाला/सुधार गृहों में महिलाओं हेतु व्यवस्था	98.89	0	02 संस्थाएं	02 संस्थाएं	देखरेख की आवश्यकता की श्रेणी की महिलाओं को आश्रय प्रदान करना	राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी	31 मार्च, 2024
17	शक्ति सदन योजना 10 प्रतिशत केन्द्रांश	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित शक्ति सदन योजना के अन्तर्गत उज्जवाला/सुधार गृहों में महिलाओं हेतु व्यवस्था	10.99	0	02 संस्थाएं	02 संस्थाएं	देखरेख की आवश्यकता की श्रेणी की महिलाओं को आश्रय प्रदान करना	राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी	31 मार्च, 2024
18	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण	वर्तमान में लागू नहीं है।	0	0.01	0	0	योजना लागू नहीं है।	योजना लागू नहीं है।	31 मार्च, 2024
19	10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों हेतु गृहों का निर्माण कराया जाता है।	0	200.00	1	1	मानसिक रूप से निःशुक्त बच्चों हेतु गृहों का निर्माण	बच्चों के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
20	किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण	किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत अध्यासीत किशोर/किशोरियों हेतु आवासीय गृहों का निर्माण	0	100.00	1	1	उत्तराखण्ड की समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में समुचित आवासीय सुविधायें उपलब्ध होगी।	बच्चों के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
21	18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण	किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओं हेतु उत्तर रक्षा गृहों का आवासीय निर्माण	0	0.01	1	1	जनपद नैनीताल में राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र का निर्माण किया जायेगा।	निराश्रित बालिकाओं के संरक्षण व पुनर्वासन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2024
22	मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत संस्थाओं/गृहों का निर्माण, 90 प्रतिशत केन्द्रांश ,	0 से 18 आयु वर्ग के जरूरतमन्द एवं आवश्यकता वाले किशोर/किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्थाओं का निर्माण	0	0.01	0	0	मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत बाल देखरेख संस्थाओं का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।	संस्थानिक बाल देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2024
23	मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत संस्थाओं/गृहों का निर्माण, 10 प्रतिशत राज्यांश	0 से 18 आयु वर्ग के जरूरतमन्द एवं आवश्यकता वाले किशोर/किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्थाओं का निर्माण	0	0.01	0	0	मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत बाल देखरेख संस्थाओं का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।	संस्थानिक बाल देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।	31 मार्च, 2024
अनुदान संख्या-15 का योग			8267.32	300.04					
अनुदान संख्या-30									
24	राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश	उज्जवला एवं अनैतिक व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं की निगरानी एवं दिशा निर्देश हेतु राज्य स्तर पर कार्यालय/अधिष्ठान	40.83	0	1 अधिष्ठान	1 अधिष्ठान	उत्तराखण्ड समाज कल्याण बोर्ड के राज्य स्तरीय कार्यालय का सफल संचालन किया जायेगा।	महिलाओं व बच्चों की सांस्थानिक देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में स्थिति बेहतर होगी।	31 मार्च, 2024
अनुदान संख्या-30 का योग			40.83	300.04					
अनुदान संख्या-15 एवं 30 का योग			8308.15	300.04					

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

विभाग का नाम: महिला कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0-10

क.स.	SDG Goals/Indicators योजना का नाम	1.4.2022 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2023-24	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2023-24
1	2	3	4	5	6
राज्य पोषित योजनाएँ					
1	मुख्य मंत्री वात्सल्य योजना अनुदान SDG-10	6319 Childerns	6319 Childerns	कोविड-19 अथवा अन्य बीमारी से प्रभावित 6319 बच्चो को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व देखरेख सुनिश्चित की जायेगी।	6319 Childerns
केन्द्रपोषित योजनाएँ					
1	मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत स्पॉन्सरशिप योजना अनुदान SDG-10	847 Childerns	847 Childerns	लगभग 1100 अनाथ, परित्यक्त बालक/ बालिकाओ को 18 वर्ष की आयु तक भरण-पोषण हेतु भुगतान किये जाने का लक्ष्य है।	1100 Childerns